फाइल नं0-71-1001(099)/607/2021

139/2021/।/115934/2021

प्रेषक,

जी0 एस0 प्रियदर्शी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ/एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ/ सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ/जी0आई0एम0एस0, ग्रेटर नोएडा।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ/प्रयागराज/झाँसी/आगरा/गोरखपुर/कानपुर/अम्बेडकरनगर/सहारनपुर/बाँदा/आजमगढ़/जालौन/कन्नौज/बदायूँ।
5. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच/शाहजहाँपुर/बस्ती/अयोध्या/फिरोजाबाद
/एटा/हरदोई/सिद्धार्थनगर/देवरिया/गाजीपुर/मिर्जापुर/प्रतापगढ़/फतेहपुर/जौनपुर।
6. निदेशक, हृदय रोग संस्थान कानपुर/जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 23 नवम्बर, 2021**

विषयः- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत केन्द्र सहायतित समस्त योजनाओं में धनराशि के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण हेतु पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/610, दिनांक 02.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता से आच्छादित योजनाओं के संचालन हेतु स्टेट नोडल एजेन्सी नामित कराये जाने, एकाउण्ट हेतु सक्षम शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंक, जिनकी जनपद स्तर पर शाखायें उपस्थित हों, को चयनित कर अधिकृत किये जाने तथा दिनॉक 01.07.202 से केन्द्रीय योजनान्तर्गत धनराशियों के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण हेतु पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता से आच्छादित योजनाओं के संचालन हेतु स्टेट नोडल एजेन्सी नामित कराये जाने, एकाउण्ट हेतु सक्षम शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंक, जिनकी जनपद स्तर पर शाखायें उपस्थित हों, को चयनित कर अधिकृत किये जाने तथा दिनॉक 01.07.202 से केन्द्रीय योजनान्तर्गत धनराशियों के अन्तरण, उपयोग एवं अनुश्रवण हेतु पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. योजनाओं के संचालन हेतु निदेशालय स्तर पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) एवं जनपद स्तर पर संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक /कुलसचिव को इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी (IAs) नामित किया जाता है।

2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2021 /बी-1-499/दस-2021 , दिनॉक 24.06.2021 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में योजनाओं के संचालन हेतु निदेशालय स्तर पर महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 एवं वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संयुक्त हस्ताक्षर से संयुक्त खाता खोलने के शिड्युल्ड कार्मिशयल बैंक का चयन कर अधिकृत करने एवं उसमें खाता खोले जाने की स्वीकृति तथा उपरोक्त खाते को पी0एफ0एम0एस0 में मैप किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
3. सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) के नीचे प्रत्येक इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी (IAs) (जनपद स्तर पर स्थापित राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा विश्वविद्यालय के संबंधित प्रधानाचार्य/निदेशक /कुलसचिव) स्तर पर जीरो बैलेन्स सब्सिडियरी खाता समस्त राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय/चिकित्सा विश्वविद्यालय में संबंधित प्रधानाचार्य /निदेशक/कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से एस0एन0ए0 हेतु चयनित/अधिकृत शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंक में संयुक्त खाता खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जी0 एस0 प्रियदर्शी)
सचिव।

<u>संख्या- उपरोक्त तद्दिनॉक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, 3 व 4
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।